

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

एल0ए0 वाद संख्या 53 / 2018-19 / 231 / भू0अ0, साहेबगंज दिनांक - 21.8.18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - बेलबथान, थाना - तालझारी, थाना सं0 - 20, अंचल - तालझारी, जिला - साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना महाराजपुर-तालझारी-कल्याणचक-पड़रिया मोड़ तीनपहाड़ आर0ओ0बी0-बाकुडीह-शर्मापुर मोड़ पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-बेलबथान, थाना- तालझारी, थाना सं0-20, अंचल-तालझारी में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-1.381 एकड़ यानि ----- हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नालिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	27	220	रैयती	धानी दोएम	0.140	राम हेम्ब्रम वगैरह पिता-सामू हेम्ब्रम सा0 - बेलबथान	शिवाना मेंहदी पोखर	222	नीज	रास्ता
2	13	222	रैयती	धानी दोएम	0.103	पौलुस किस्कू वगैरह पिता - रसका किस्कू वगैरह सा0 - कल्याणी	220	230	नीज	रास्ता
3	17	230	रैयती	धानी दोएम	0.046	सकरो मुर्मू वगैरह पिता-मुंशी मुर्मू वगैरह सा0 - बेलबथान	222	231	नीज	रास्ता
4	17	231	रैयती	धानी शोएम	0.039	तथैव	230	रास्ता	नीज	रास्ता
5	11	81	रैयती	धानी शोएम	0.024	राम दुडू वगैरह पिता - लखन दुडू वगैरह सा0 -2 बेलबथान	रास्ता	83	रास्ता	नीज
6	11	237	रैयती	धानी शोएम	0.027	तथैव	रास्ता	238	नीज	रास्ता
7	11	238	रैयती	धानी शोएम	0.060	तथैव	237	339	नीज	रास्ता
8	11	239	रैयती	धानी शोएम	0.022	तथैव	238	240	नीज	रास्ता
9	11	240	रैयती	धानी शोएम	0.082	तथैव	239	271	नीज	रास्ता
10	11	271	रैयती	धानी शोएम	0.041	तथैव	240	283	नीज	रास्ता
11	11	283	रैयती	धानी शोएम	0.009	तथैव	271	284	नीज	रास्ता
12	30	286	रैयती	धानी शोएम	0.041	मंगल कर्मकार वगैरह, पिता-फागु कर्मकार सा0 - बेलबथान	285	289	नीज	रास्ता
13	30	284	रैयती	धानी शोएम	0.057	तथैव	283	285	नीज	रास्ता
14	30	285	रैयती	बाड़ी दोएम	0.033	तथैव	284	286	नीज	रास्ता
15	19	69	रैयती	धानी शोएम	0.043	चुण्डा हेम्ब्रम वगैरह पिता - मंगल हेम्ब्रम वगैरह सा0 - मेंहदी पोखर	शिवाना महाजपुर	70	रास्ता	नीज
16	19	70	रैयती	धानी शोएम	0.033	तथैव	69	71	रास्ता	नीज
17	19	71	रैयती	धानी औवल	0.03	तथैव	70	73	रास्ता	नीज
18	19	73	रैयती	धानी औवल	0.077	तथैव	71	77	रास्ता	नीज
19	19	77	रैयती	धानी औवल	0.055	तथैव	73	78	रास्ता	नीज
20	19	78	रैयती	धानी दोएम	0.029	तथैव	77	79	रास्ता	नीज
21	19	79	रैयती	धानी शोएम	0.056	तथैव	78	80	रास्ता	नीज
22	19	80	रैयती	धानी शोएम	0.038	तथैव	79	रास्ता	रास्ता	नीज
23	21	83	रैयती	वाड़ी दोएम	0.013	सुमी हेम्ब्रम पति - स्व0 मेधराध मुर्मू वगैरह सा0 - बेलबथान	82	196	रास्ता	नीज

24	24	289	रैयती	धानी शोएम	0.056	सुजित टुडू वगैरह पिता – रॉकन टुडू वगैरह सा0 – मेंहदी पोखर	286	शिवाना हरदिया	नीज	रास्ता
25	26	218	रैयती	धानी शोएम	0.095	रामसराय मरांडी वगैरह पिता – चेडगा मरांडी वगैरह सा0 – बेलबथान	197	217	रास्ता	नीज
26	29	217	रैयती	धानी शोएम	0.062	भरत टुडू वगैरह पिता – चन्द्राय टुडू वगैरह सा0 – बेलबथान	218	216	रास्ता	नीज
27	29	196	रैयती	वाड़ी दोएम	0.015	तथैव	83	197	रास्ता	नीज
28	29	197	रैयती	धानी शोएम	0.018	तथैव	196	218	रास्ता	नीज
29	15	216	रैयती	वाड़ी दोएम	0.037	वर्णावास टुडू वगैरह पिता – स्व0 पेरो टुडू वगैरह सा0 – बेलबथान	217	शिवान तीनपहाड़	रास्ता	नीज
कुल रकवा –					1.381					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता –सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

21/11/18
उपायुक्त,
साहेबगंज।